पत्रसंख्या//स्था-5ख-पदोन्नति-वा0क0अ0-2018-19// 4285 // वाणिज्य कर

प्रेषक,

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, ।

(स्थापना-अनुभाग) लखनऊ// दिनांक// 15 दिसम्बर, 2019

महोदय,

अवगत कराना है कि चयन वर्ष 2017-18 की विभागीय प्रोन्नति कोटें की रिक्तियों के सापेक्ष चयनित किए गए लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिकों को आदेश संख्या-4554 दिनांक 19-02-2018 के द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी जिसमें कतिपय कार्मिकों द्वारा अपनी पदोन्नति फोरगो किए जाने के कारण कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश द्वारा उनकी पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया जिसके कारण रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही बाधित हुयी है ।

चयन वर्ष 2018-19 की विभागीय प्रोन्नत कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष भी निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही करायी जानी है जिसमें लिपिक संवर्ग की दिनांक 09-11-2015 को जारी की गयी ज्येष्ठता सूची के अनुसार सामान्य श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-1063 एवं दिव्यांगजन श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-1195 तक के स्थायी कार्मिकों को पात्रता सूची में रखा गया है।

अत: वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तावित चयन हेतु उक्त पदधारकों में से जो कार्मिक आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत हैं, उनमें से यदि कोई कार्मिक वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है तो उससे इस आशय का सहमति पत्र प्राप्त कर कर लें कि संगत डी0पी0सी0 में वह वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के इच्छुक नहीं है तथा यदि उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक की वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिये जाने के हकदार नहीं होगें, ताकि तदनुसार उसे डी0पी0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें चयन किए जाने अथवा उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिकों के चयन हेतु मामले में चयन समिति के माध्यम से निर्णय कराया जा सके ।

कृपया उपरोक्त वांछित सहमति पत्र प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

15/12/18

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि-ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्यकर, मुख्यालय को इस निवेदन के साथ कि उक्त पत्र की एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।